

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 25-4-24 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

उपखण्ड उपस्थित पीठकी वकील पत्रावली दिनांक 18-7-24 को पेश हो

रीट

वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिगट से तलब की गयी, वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी विपक्षीगण के विकट कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं प्रकरण को इसी स्टेज पर खारीज करमाया जावें।

मैंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रकरण का अध्ययन किया। न्यायदृष्टि में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वकील प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विकट कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण इसी स्तर पर खाराज किया जाता है पत्रावली फासल शुमार होकर अन्तर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

